

संख्या-06/एफ1-05/2025 श्र0सं0-
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय: राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित राशि क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹160.00 लाख (₹ एक करोड़ साठ लाख), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए 10.00 लाख (₹ दस लाख) अर्थात् कुल ₹ 220.00 लाख (₹ दो करोड़ बीस लाख) मात्र के लागत पर अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के अवधि विस्तार तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित राशि क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹ 160.00 लाख (₹ एक करोड़ साठ लाख), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) अर्थात् कुल ₹ 220.00 लाख (₹ दो करोड़ बीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है :-

(i) सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण- माँग सं०-26- उप शीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
13- कार्यालय व्यय	
0103.13.01 कार्यालय व्यय	1,000
0103.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	28,99,000
20- अन्य प्रशासनिक व्यय	
0103.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,00,000
21- सामग्री और आपूर्ति	
0103.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	33,60,000
0103.21.02 दवा भंडार	1,20,000
0103.21.03 आहार / पथ्य	1,20,000
0103.28.04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	10,00,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	60,00,000
योग-26-2230.01.103.0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	1,60,00,000

(₹ एक करोड़ साठ लाख) मात्र।



(ii) अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए— मुख्य शीर्ष-2230— श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01—श्रम-लघु शीर्ष-789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26—उप शीर्ष-0104—बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
21- सामग्री और आपूर्ति	
0104.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	18,20,000
0104.21.02 दवा भंडार	65,000
0104.21.03 आहार / पथ्य	65,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	30,50,000
योग- 26-2230.01.789.0104 - बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	50,00,000

(₹ पचास लाख) मात्र।

(iii) अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए— मुख्य शीर्ष-2230— श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01—श्रम-लघु शीर्ष-796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26—उप शीर्ष-0102—बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
21- सामग्री और आपूर्ति	
0102.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2,80,000
0102.21.02 दवा भंडार	10,000
0102.21.03 आहार/पथ्य	10,000
37- अनुग्रह अनुदान	
0102.37.01 अनुग्रह अनुदान	7,00,000
योग- 26-2230.01.796.0102 - बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण	10,00,000

(₹ दस लाख) मात्र।

अर्थात् (i)+(ii)+(iii) के तहत कुल राशि ₹ 2,20,00,000 (₹ दो करोड़ बीस लाख) मात्र।

2. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल-1950 विमुक्त बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार है:-

(i) सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए— मुख्य शीर्ष-2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01—श्रम-लघु शीर्ष-103—सामान्य श्रम कल्याण- माँग सं०-26—उप शीर्ष-0103—बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अंतर्गत :-

A	1200 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु			
क्र. सं.	इकाई का नाम	राशि (₹)	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या
क	बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना	5000	1200	60,00,000
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	1200	1,20,000
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	1200	1,20,000
घ	सामग्री एवं पूर्तियाँ	2800	1200	33,60,000
ड.	बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता आदि			25,00,000
च	बाल श्रमिक कोषांग का कार्यालय व्यय			1,000
छ	संविदा के आधार पर धावा दल के वाहन की व्यवस्था हेतु			28,99,000
ज	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ			10,00,000
		कुल योग-		1,60,00,000

(₹ एक करोड़ साठ लाख) मात्र ।

 

(ii) अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अंतर्गत :-

650 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु				
क्र. सं.	इकाई का नाम	राशि (₹)	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या
क	बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना	5000	610	30,50,000
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	650	65,000
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	650	65,000
घ	सामग्री एवं पूर्तिया	2800	650	18,20,000
कुल योग-				50,00,000

(₹ पचास लाख) मात्र ।

(iii) अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अंतर्गत :-

100 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु				
क्र. सं.	इकाई का नाम	राशि (₹)	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या
क	बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करना	5000	140	7,00,000
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	100	10,000
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	100	10,000
घ	सामग्री एवं पूर्तिया	2800	100	2,80,000
कुल योग-				10,00,000

(₹ दस लाख) मात्र ।

अर्थात (i)+(ii)+(iii) का कुल योग ₹ 2,20,00,000 (₹ दो करोड़ बीस लाख) मात्र ।

- यह चालू योजना है। इस योजना के तहत व्यय की जानेवाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव/संबंधित सभी उप श्रमायुक्त/संबंधित सभी सहायक श्रमायुक्त/संबंधित सभी श्रम अधीक्षक एवं संबंधित सभी जिला पदाधिकारी होंगे ।
- इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी ।
- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
- इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

2244 / 02 / 05 / 2025

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।